

प्रेस नोट

पुलिस अधीक्षक कानपुर देहात के निर्देशन में दिनांक:- 09.04.2024 को जनपद में अपराधियों के विरुद्ध व अपराध नियन्त्रण हेतु चलाये जा रहे अभियान एवं जनपद में शान्ति व्यवस्था कायम रखने हेतु की गयी कार्यवाही का विवरण:-

- थाना रूरा पुलिस द्वारा अभियुक्त पंकज कुमार पुत्र स्व० परशुराम निवासी ग्राम असेनी थाना रूरा जनपद कानपुर देहात के कब्जे से नाजायज, एक अदद देशी तमंचा 12 बोर नाजायज व 02 अदद जिन्दा कारतूस 12 बोर व 3320 रूपये बरामद होने के सम्बन्ध में गिरफ्तार कर मु०अ०सं० 120/2024 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी।
- थाना भोगनीपुर पुलिस द्वारा अभियुक्त अनीस अहमद पुत्र मेंहदी हसन निवासी जीजीआईसी स्कूल के पास गांधीनगर कस्बा पुखरायां थाना भोगनीपुर जनपद कानपुर देहात अभियुक्त के कब्जे से 40 लीटर कच्ची अवैध शराब बरामद होने के सम्बन्ध में गिरफ्तार कर मु०अ०सं० 102/2024 धारा 60 आबकारी अधिनियम पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी।
- थाना सिकन्दरा पुलिस द्वारा अभियुक्त नितिन कटियार पुत्र बृजेश कटियार उर्फ शैलेन्द्र निवासी रोहिनी थाना सिकन्दरा जनपद कानपुर देहात के कब्जे से एक अदद देशी नाजायद 315 बोर तमंचा व एक अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर बरामद होने के सम्बन्ध में गिरफ्तार कर मु०अ०सं० 80/2024 धारा 9/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी।
- थाना सिकन्दरा पुलिस द्वारा अभियुक्त नौसाद पुत्र छंगो निवासी मोहल्ला मालवीय नगर कस्बा व थाना सिकन्दरा जनपद कानपुर देहात के कब्जे से एक अदद पिपिये में 15 लीटर देशी अबैध शराब बरामद होने के सम्बन्ध में गिरफ्तार कर मु०अ०सं० 081/2024 धारा 60 आबकारी अधिनियम पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी।
- थाना राजपुर पुलिस द्वारा अभियुक्त अरबाज अहमद पुत्र रजी अहमद उम्र 26 वर्ष निवासी ग्राम जल्लापुर सिकन्दरा थाना राजपुर जनपद कानपुर देहात के पास 20 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद होने के सम्बन्ध में गिरफ्तार कर मु०अ०सं० 34/2024 धारा 60 आबकारी अधिनियम पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी।
- थाना अमराहट पुलिस द्वारा अभियुक्त खुशीलाल पुत्र स्व० गोरेलाल उम्र करीब 34 वर्ष निवासी ग्राम भागौतिपुर पोस्ट भाऊपुर थाना कोतवाली औरैया जनपद औरैया के कब्जे से 10 लीटर

अवैध देशी कच्ची शराब बरामद होने के सम्बन्ध में गिरफ्तार कर मु0अ0सं0 14/2024 धारा 60 आबकारी अधिनियम पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी।

- थाना डेरापुर पुलिस द्वारा अभियुक्त प्रियरंजन उर्फ छोटू पुत्र स्व0 राम गोपाल निवासी ग्राम निम्दापुर थाना डेरापुर जनपद कानपुर देहात के पास से एक अदद तमंचा 315 बोर व एक अदद कारतूस 315 बोर नाजायज बरामद होने के सम्बन्ध में गिरफ्तार कर मु0अ0सं0 65/2024 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी।

जनपद में शांति व्यवस्था कायम रखने हेतु जनपद पुलिस द्वारा 12 व्यक्तियों के विरुद्ध थानावार क्रमशः जिसमें थाना अकबरपुर पुलिस द्वारा 03 व्यक्तियों, थाना गजनेर पुलिस द्वारा 02 व्यक्तियों, थाना मंगलपुर पुलिस द्वारा 02 व्यक्तियों, थाना मूसानगर पुलिस द्वारा 01 व्यक्ति, थाना रसूलाबाद पुलिस द्वारा 01 व्यक्ति, थाना भोगनीपुर पुलिस द्वारा 03 व्यक्तियों का धारा 151/107/116 द0प्र0सं0 के अन्तर्गत चालान किया।